भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 247
दिनांक 02.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधि जारी किए जाने में देरी

247 श्रीमती राजाथी:

क्या ***जल शक्ति*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत योजना की शुरुआत से लेकर अब तक राज्य-वार संस्वीकृत और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) तमिलनाडु राज्य सहित राज्य सरकारों को केंद्रीय निधियों के हस्तांतरण में देरी होने के क्या कारण हैं;
(ग) वर्ष 2020 से केंद्र सरकार से लंबित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या किसी अध्ययन में ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर जेजेएम के प्रभाव का आकलन किया गया है; और
(ङ) ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ कौन-सी हैं और इन चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) भारत सरकार अगस्त 2019 से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। 'जल' राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं/कार्यों सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं/कार्यों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों का समर्थन करती है।

अगस्त 2019 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ जेजेएम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। आवंटित निधि के विरुद्ध, लगभग पूरी निधि का उपयोग कर लिया गया है। जेजेएम के तहत आहरित धनराशि, केंद्रीय और राज्य के हिस्से के संसूचित उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और

जेजेएम डैशबोर्ड के माध्यम से निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

(घ) देश भर में जेजेएम के प्राथमिकता वाले कार्यान्वयन के साथ, ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किया गया है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

i. एसबीआई रिसर्च में दर्शाया गया है कि जेजेएम-हर घर जल ने बाहर के परिसर से पानी भरकर लाने वाली 9 करोड़ महिला आबादी में अनुमानित गिरावट के साथ एक क्रांति की शुरुआत की है, जिसके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
ii. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुमान है कि जेजेएम के तहत कार्य-परिपूर्णता प्राप्त करने से हर दिन 5.5 करोड़ घंटे से अधिक समय की बचत होगी, अन्यथा यह समय मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा पारिवारिक जरूरतों के लिए पानी के संग्रहण में खर्च किया जाता है।

(ङ) राज्यों ने सूचित किया है कि जल संकट, सूखा-ग्रस्त और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जेनिक संदूषकों की उपस्थिति, असमान भौगोलिक क्षेत्र, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य के हिस्से को जारी करने में विलंब, जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास तकनीकी क्षमता की कमी, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में देरी आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ समस्याएं हैं।

इन चुनौतियों का समग्र रूप से समाधान करने और इनसे निपटने के लिए, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता के लिए वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन; राज्यों को सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने हेतु विभाग में एक नोडल अधिकारी का नामांकन; तकनीकी कौशल सेटों की उपलब्धता में अंतर को पाटने के लिए ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना और नल जल मित्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल है।

राज्यों को वीबी-जी राम जी, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), आरएलबी/पीआरआई को वित्त आयोग के सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में स्रोत पुनर्भरण जैसे कि समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का कायाकल्प, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग आदि करने की सलाह दी गई है।

*****